

(30)

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

5(3) व्रतिये / 3/१७

जयपुर दिल्ली  
6 OCT 2003

संशोधन

इस दिपाग आदेश हारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 04/10/2002 में निमानुसार संशोधन किया जाता है :-

- आदेश के प्रथम पैरा में अंकित दिनांक "26/05/2002" के स्थान पर "26/05/2000" पढ़ा जाए।
- आदेश के बिन्दु 1 में अंकित शब्द "अतिरिक्त 30/- रु." के पश्चात् एवं शब्द "लिए जाकर" के पूर्व "प्र.व.गज" जोड़ा जाता है।

भवदीय

(एस. ए. फारकी)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेक्षित है :-

- विशिष्ठ सहायक, गृह मंत्री, राजस्थान सरकार।
- विशिष्ठ सहायक, वित्त मंत्री, राजस्थान सरकार।
- विशिष्ठ सहायक, नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
- निजी सचिव, प्रभुत्व शासन सचिव(प्रथम), मुख्यमंत्री जी।
- निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- निजी सचिव, सचिव(द्वितीय), मुख्यमंत्री जी।
- आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार।
- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- सचिव, नगर विकास चाला (सारस्त), राजस्थान।

(43)  
(354)

(एस. ए. फारकी)  
शासन उप सचिव